शोध मंथन Vol. XIII No.IV Oct.-Dec. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

बाल–अधिकार का तात्त्विक विवेचन : विधिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में

प्राप्तिः 20.12.2022
स्वीकृतः 26.12.2022

102

शिवानी त्रिपाठी
शोधार्थी
विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
ईमेलः *shivani.7tripathi@gmail.com*

सारांश

भारत में मानवाधिकारों की रूपरेखा देश के संविधान से उत्सर्जित होती है। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति–निदेशक सिद्धान्त, वे सशक्त संवैधानिक प्रावधान हैं, जो मानवाधिकारों की अवधारणा को वास्तविकता में परिवर्तित करने को प्रेरित करते हैं। चूँकि बच्चे किसी भी देश की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति हैं और यदि उन्हें अनुकूल और समर्थवातावरण प्रदान किया जाए तो प्रत्येक बच्चा एक उत्पादक वयस्क और देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूपमें पल्लवित हो सकता है।

बाल अधिकार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की वह नैसर्गिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, जिनका उसके स्वाभाविक विकास के लिए होना अत्यन्त आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ''18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए न्यूनतम जीवनस्तर सुनिश्चित करने वाली दशायें बाल अधिकार की श्रेणी में आती हैं''। प्रस्तुत शोधपत्र में भारतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बालकोंके अधिकारों की तात्त्विक विवेचना प्रस्तुत की गयी है।

यह शोध–पत्र समाज में उपेक्षित बालकों के अधिकारों पर प्रकाश डालता है। बच्चे समाज के भविष्य होते हैं, लेकिन यह देखा गया है कि सबसे अधिक बच्चों के अधिकारों की ही उपेक्षा एवं उनका शोषण किया जाता है। बाल अधिकार की संकल्पना नवीन है। प्रस्तुत विवरणात्मक शोध का उद्देश्य बाल अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका अध्ययन करना है। बाल अधिकारों का वर्गीकरण बाल अधिकार से तात्पर्य बच्चे को जन्म से पूर्व से लेकर वयस्क होने तक प्राप्त होने वाली सुविधाएँ, हैं जो उसको परिवार, पड़ोस, विद्यालय या अन्य सामुदायिक–औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवश्य मिलनी चाहिये। बच्चों के लिए प्रदान किये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में विश्व के सभी देश यह स्वीकार करते हैं कि उनके जीवन, शिक्षा, विकास तथा शोषण से मुक्ति की सुविधायें अवश्य उपलब्ध होनी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसीलिए 54 अनुच्छेदों में बाल अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक सदस्य पर यह कानून बाध्यकारी है। बच्चों के अधिकारों को हम निम्नलिखित चार शीर्षकों के अन्तर्गत भलीप्रकार से समझ सकते हैं:–

1. जीवित रहने का अधिकार

इन अधिकारों के अन्तर्गत बच्चे को जीने का, स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर प्राप्त करने का समुचित पोषाहार का, मानवोचित जीवनस्तर के उपभोग करने का, एक नाम और एक राष्ट्रीयता धारण करने का अधिकार सम्मिलित है। इस वर्ग के अधिकार बच्चों की आकस्मिक मृत्यु, अप्राकृतिक एवं विकृत व्यवहार से सुरक्षा, कुपोषण से बचाव एवं विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं।

2. विकास का अधिकार

बच्चे के जीवित रहने के साथ–साथ उसका विकास भी सुनिश्चित होना चाहिये। विकास के अधिकार के अन्तर्गत बच्चे की समुचित शिक्षा, बचपन के दौरान समुचित देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार, खेलने का अधिकार तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति विशेष उपाय किये जाने के अधिकार सम्मिलित हैं।

3. सुरक्षा का अधिकार

सभी बच्चों को परिवार, समुदाय, विद्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों व अन्य सभी संस्थाओं में सुरक्षा का अधिकार होना चाहिये। सभी देश ऐसे सभी उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करेंगे, जिनसे माता–पिता, कानूनी अभिभावक और अन्य किसी व्यक्ति की देख–रेख में रहे बच्चों को सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक, हिंसा, चोट अथवा अपमान उपेक्षा अथवा उपेक्षाजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार, शोषण, यौन–शोषण से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी के साथ बालश्रम व नशीले पदार्थों से बचाव का अधिकार भी बच्चे का होना चाहिये।

4. सहभागिता का अधिकार

बच्चे को परिवार, विद्यालय, खेलकूद में या अन्य सभी अवसरों पर सम्मिलित होने का अधिकार मिलना चाहिये। बच्चों को प्रत्येक मुद्दे पर विचार व्यक्त करने का अधिकार है। सहभागिता के अधिकार में बच्चों के दृष्टिकोण के प्रति सम्मान, अभिव्यक्ति की आजादी, विवेक और धर्म के प्रति सम्मान तथा अभियुक्त बच्चों का अधिकार शामिल है।

बाल अधिकार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। जहाँ बाल–अधिकारों का उल्लंघन परिवार से शुरू होता है, वहीं इस समझौते की घोषणा बाल अधिकारों की व्याख्या बच्चे के गर्भ से प्रारम्भ होती है। बाल अधिकारों में गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और उचित पोषक स्तर की बात भी कही गयी है। ताकि इस दुनिया में आने वाला मेहमान एक स्वस्थ नागरिक के रूप में हो।

बाल अधिकारों का विधिक विकास

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकार का विकास 1924 में राष्ट्र संघ के तत्वावधान में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम बच्चों के अधिकार का जेनेवा घोषणा पत्र अंगीकार किया गया। उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के प्रावधान आये। बाल अधिकारों का ऐतिहासिक विलेषण मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकार किया गया, जिसने बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लिए भी कतिपय उपाय किये।

बाल अधिकारों की घोषणा

1959 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा ने 20 दिसम्बर को बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अंगीकार किया। दस बहुत ही सावधानीपूर्वक शब्दांकित सिद्धान्तों की घोषणा

बच्चों के स्नेह, प्यार और समझ के अधिकार, खेलने, मनोरंजन व्यक्तित्व गुणों के विकास, शान्ति और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना के साथ–साथ विकलांग बच्चों की विशेष देखभाल, शिक्षा को प्रथम वरीयता के आधार पर पाने का अधिकार देती है।

बच्चों के अधिकार को संरक्षण और गारन्टी देने में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा व नागरिकों राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा 16 दिसम्बर 1966 को स्वीकार किया गया। 03 बच्चों के कल्याण और रक्षा के मसाल को और आगे बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा में ''बींजिंग नियम'' अर्थात् किशोर न्याय प्रशासन–04 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम 29 नवम्बर 1985 को स्वीकार किये गए।

बच्चों के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय

बच्चों के अधिकार के संरक्षण का अन्तिम प्रक्रम तब पा लिया गया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 20 नवम्बर 1983 को बच्चों के अधिकार का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय अंगीकार किया। जहॉ तक बच्चों के अधिकार का प्रश्न है यह एक महत्वपूर्ण विस्तृत संधि है और वर्षों के विस्तृत समझौता–वार्ताओं का परिणाम है। यह बच्चों के अधिकार के संरक्षण के लए कानूनी और नैतिक आधार प्रस्तुत करता है। यह अभिसमय उद्देशिका के अतिरिक्त तीन भागों में बंटा है–

भाग–प्रथम

अनुच्छेद–01 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति हो। अनुच्छेद–02 के अनुसार बच्चे के अभिभावक किसी भी भेदभाव के बिना बच्चे का सम्मान करेंगे, अनुच्छेद–03 के अनुसार सभी कार्यों में बच्चों के सर्वोत्तम हितों पर सबसे पहले ध्यान, अनुच्छेद–04 के अनुसार सभी पदाधिकारी प्रसाशनिक, शैक्षिक उपाय, अनुच्छेद–05 के अनुसार माता–पिता एवं संरक्षक द्वारा बच्चों के अधिकारों व कर्तव्यों का सम्मान, अनुच्छेद–06 के अनुसार जीवित व विकास, अनुच्छेद–07 के अनुसार राष्ट्रीयता का पंजीकरण, अनुच्छेद–08 के अनुसार नाम, राष्ट्रीयता व अस्मिता का अधिकार, अनुच्छेद–09 के अनुसार निर्वासन से मुक्ति, अनुच्छेद–10 के अनुसार दूसरे देशों के परिवारों के पुनर्मिलन पर सकारात्मक दृष्टिकोण का अधिकार, अनुच्छेद–11 के अनुसार गैरकानूनी रूप से विदेश जाने पर रोक व बहुपक्षीय समझौता, अनुच्छेद–12 के अनुसार न्याायिक, प्रशासनिक कार्यवाही में मदद व परिपक्वता प्राप्त होने पर उसके विचारों पर महत्व का अधिकार, अनुच्छेद–13 के अनुसार सभी प्रकार की अभिव्यक्ति, अनुच्छेद–14 के अनुसार विचार, अंतरात्मा, धर्म की आजादी, अनुच्छेद–15 के अनुसार संगठन बनाने, अनुच्छेद–16 के अनुसार निजता बनाये रखने,अनुच्छेद–17 के अनुसार जनसंचार माध्यमों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सूचनाए प्राप्त करने, अनुच्छेद–18 के अनुसार बच्चों के देखभाल की प्राथमिक जिम्मेदारी माता–पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा, अनुच्छेद–19 के अनुसार शारीरिक–मानसिक चोट, अपमान, उपेक्षा, दुर्व्यवहार व शोषण से बचाव, अनुच्छेद–20 के अनुसार वंचित बच्चों का सरकार से विशेष संरक्षण, अनुच्छेद–21 के अनुसार सक्षम व्यक्तियों को बच्चों को गोद देना, अनुच्छेद–22 के अनुसार शरणार्थी का दर्जा प्राप्त करना, अनुच्छेद–23 के अनुसार मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को उच्चतम सुविधा, अनुच्छेद–24 के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सुविधायें, अनुच्छेद–25 के अनुसार उपचार परिस्थितियों का संरक्षण, अनुच्छेद–26 के अनुसार सामाजिक बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा, अनुच्छेद–27 के अनुसार समुचित जीवन स्तर, अनुच्छेद–28 के अनुसार उपर्युक्त व वांछित शिक्षा, अनुच्छेद–29 के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पहचान, भाषा, जीवनमूल्य की सुरक्षा, अनुच्छेद–30 के अनुसार जातीय, धार्मिक भाषायी या आदिम निवासी बच्चों का

सम्मान, अनुच्छेद–31 के अनुसार आराम, खेलने, मनोरंजन, अनुच्छेद–32 के अनुसार आर्थिक शोषण और जोखिमभरे कार्यों से बचाव, अनुच्छेद–33 के अनुसार नशीले पदार्थों से बचाव व उपचार, अनुच्छेद–34 के अनुसार यौन शोषण से मुक्ति, अनुच्छेद–35 के अनुसार अपहरण, बिक्री–व्यापार रोकने के लिए समझौते, अनुच्छेद–36 के अनुसार बच्चों के कल्याण, अनुच्छेद–37 के अनुसार यातना, क्रूर, असामान्य, अपमानजनक व्यवहार, मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास से मुक्ति, अनुच्छेद–038 के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का युद्ध में भाग लेने से रोक, अनुच्छेद–39 के अनुसार सशस्त्र संघर्ष के शिकार बच्चों को शारीरिक व मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रदान करना, अनुच्छेद–40 के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की न्यायपूर्ण सुनवाई, अनुच्छेद–41 के अनुसार समझौते में शामिल देश द्वारा कानून अथवा अर्न्तराष्ट्रीय कानून में सन्निहित प्रावधान बच्चों के अधिकार संरक्षण के लिए लागू करना शामिल है।

भाग–द्वितीय

अनुच्छेद–42 के अनुसार समझौते में शामिल देश इस अभिसमय का बच्चों तथा वयस्कों में व्यापक प्रसार करेंगे। अनुच्छेद–43 के अनुसार समझौते में शामिल देश बाल अधिकारों की सफलता के लिए एक समिति गठित करेंगे, अनुच्छेद–44 के अनुसार समझौते में शाामिल देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बाल अधिकार प्रगति की रिपोर्ट दो वर्ष बाद और उसके बाद प्रत्येक 05 वर्ष बाद देंगे। अनुच्छेद–45 के अनुसार इस अभिसमय के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

भाग–तृतीया

अनुच्छेद–46 के अनुसार सभी देश समझौते को प्रतिहस्ताक्षरित करेंगे, अनुच्छेद–47 के अनुसार इस समझौते की पुष्टि की जायेगी और पुष्टि की प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा की जायेगी। अनुच्छेद0–48 के अनुसार कोई भी देश इस समझौते में शामिल हो सकता है। अनुच्छेद–49 के अनुसार यह समझौता पुष्टि होने की 20वीं प्रसंविदा के संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सौंपे जाने की तिथि के 30वें दिन से लागू हो जायेगी। अनुच्छेद0–50 के अनुसार कोई भी देश संशोधन या प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास दर्ज करा सकता है, जिसका निर्णय बहुमत के आधार पर होगा,अनुच्छेद–51 के अनुसार समझौते के शामिल देश संशोधनों की पुष्टि या विभिन्न मुद्दों पर अपनी आपत्ति को संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास दर्ज करायेंगे, वापिस लेंगे, साथ ही सभी देशों को सूचित करेंगे, अनुच्छेद0–52 के अनुसार समझौते में शामिल कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र महासचिव को सूचना भेजकर इस समझौते को अस्वीकार कर सकता है। अनुच्छेद0–53 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव को इस समझौते के दस्तावेज और प्रसंविदा को रखने वाला अधिकारी नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद0–54 के अनुसार इस समझौते का मूल पाठ इसके अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनीश पाठ भी उतने ही प्रामाणिक हैं और ये सभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास जमा होंगे।

बाल अधिकरों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

बच्चों के अधिकारों की घोषणा को अग्रसर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1979 को बाल अधिकारों का घोषित किया।

बच्चों के लिए शिखर सम्मेलन

बच्चों के कल्याण व अधिकार–संरक्षण के लिए 30 सितम्बर 1990 को न्यूयार्क में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा एक कार्ययोजना बनाई गई, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सरकारों, अन्तर्राष्ट्रीय संरचना, द्विपक्षीय सहायता उपक्रमों और गैर सरकारी संगठनों तथा समाज के अन्य क्षेत्रों के लिए दिशा–निर्देश का कार्य करना है।

बाल अधिकारों के क्षेत्रीय मानवाधिकार दस्तावेज

बाल अधिकारों के क्रमिक विकास में क्षेत्रीय मानवीय अधिकार दस्तावेजों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा ही प्रयास मानव अधिकार और कर्तव्य की घोषणा 1948 यह प्रावधान करती हे कि सभी बच्चे विशेष संरक्षण, देखभाल और सहायता का अधिकार रखते हैं। यूरोपीय सामाजिक घोषणा पत्र 1961 भी बच्चों ओर युवजन को शारीरिक और नैतिक खतरों के विरूद्ध विशेष संरक्षण का अधिकार देता है। मानव अधिकार का अमेरिकी अभिसमय 1969 यह प्रावधान करता हैकि बच्चों के, चाहे वे औरस हों या वर्णसंकर,वह समान अधिकार का मान्यता देगा। साथ ही प्रत्येक अवयस्क बच्चा अपने परिवार, समाज और राज्य की ओर से विशेष संरक्षण का अधिकारी होगा। मानव और जन अधिकारों का अफ्रीकी चार्टर 1981 एक सामान्य प्रावधान करता है कि राज्य अन्तर्राष्ट्रीय घोषणाओं अभिसमय में अनुबद्ध महिला और बच्चों के अधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे।

भारतीय संविधान में वर्णित बाल अधिकार

भारतीय संविधान समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों के संरक्षण एवं क्रियान्वयन की व्यवस्था करता है। समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग– बच्चों के अधिकारों के लिए भारतीय संविधान मे व्यापक व्यवस्था के साथ–साथ उनके प्रवर्तन का उपाय भी किया गया है। जैनिग्स के अनुसार ''भारतीय सविधान अतीत का उत्तराधिकारी तथा भविष्य का वसीयतकर्ता भी है''। भारतीय संविधान के भाग तीन व चार में न केवल बाल–अधिकारों को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार किया गया है, अपितु उनके उल्लंघन की स्थिति में उपचार की भी व्यवस्था की गई है।

संविधान का भाग–3

संविधान के भाग–3 में नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को वर्णित किया गया है। लोगों के लिए नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रमुख उद्देश्य उन्हें भय से मुक्ति दिलाना है। ये अधिकार बच्चों को जीवन जीने मेंसहायता करते हैं, जिससे वह किसी हीन मनोग्रन्थि का अनुभव न करें, उसका उत्पीडन न हो और न ही उसे किसी प्रकार की यातना दी जाये। दूसरे शब्दों मे नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की अन्तर्वस्तु स्वतन्त्रता और मानव की समता है। संविधान में निम्नलिखित प्रावधान बच्चों के नागरिक और राजनैतिक हितों की रक्षा के लिये किये गये है–

1. राजनैतिक समानता का अधिकार– (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद–2) भारतीय सविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, आयु, जन्मस्थान या अन्य किसी आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। इस समानता से बालक को राजनैतिक पहचान मिलती है।
2. प्राण का अधिकार– (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद–6) सविधान का अनुच्छेद 21 यह प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रकिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा।
3. बन्दीकरण और निरोध के विरूद्ध संवैधानिक संरक्षण (बालअधिकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद–6) भारतीय सविधान किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 22(1)(2) गिरफ्तारी के विरूद्ध प्रक्रियात्मक संरक्षण प्रदान करते हैं जबकि खण्ड (4) से (7) तक के उपबन्ध निरोध के विरूद्ध प्रक्रियात्मक संरक्षा प्रदान करते हैं।
4. मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिषेध (बालअधिकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का

अनुच्छेद–35, 36) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 (क) के अनुसार प्रथम मानव दुर्व्यापार और बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम का प्रतिषेध होगा तथा अनुच्छेद 23(ख) के अनुसारउस प्रतिषेध का उल्लंघन होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय है।

5. बालक को संकटपूर्ण नियोजनो में लगाने का प्रतिषेध (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 32) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24, 19 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी कारखाने, खान या परिसंकटमय नियोजन मे लगाने का प्रतिषेध करता है।
6. गैर विभेदीकरण का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 2) समानता के सामान्य सिद्धान्त को लागू करते हुए अनुच्छेद–15 के अनुसार धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अन्य किसी आधार पर बच्चों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।
7. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद12,13,14,17) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 9(क) वाक् और अभिव्यक्ति किसी भी रूप मे करने की स्वतंत्रता प्रदान करता हैं।
8. संगठन बनाने की स्वतंत्रता (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद–15) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 19(क) ग संघ या संगम का अधिकार समस्त नागरिकों को प्रदान करता है।
9. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 14) अनुच्छेद 25(क) सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्रदान करता है।
10. एकान्तता, परिवार, पत्राचार एवं ख्याति का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 16 क) भारतीय सविधान का अनुच्छेद 21 में गहन विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी नागरिक को अपनी दैहिक स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए एकान्तता, परिवार, निर्माण, पत्राचार करने, अपना सम्मान बचाने व पूर्ण ख्याति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।
11. संवैधानिक उपचारों का अधिकार– बाल अधिकार की बात करना और उन्हें संविधान में स्थान दिया जाना अर्थहीन होगा, यदि उनके प्रवर्तन के लिए प्रभावकारी व्यवस्था न हो। अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 40 के अनुरूप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति भाग–3 मे प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय मे सीधे जा सकता है।

संविधान के भाग–4 में वर्णित बाल अधिकार

संविधान के भाग–4 में नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार सम्मिलित हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण व्यक्ति की मूलभूत और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अति आवश्यक है। इन अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक होती है। इन अधिकारों को राज्य नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं। इन नीति निर्देशक तत्वोंमें निम्नलिखित अधिकार बाल कल्याण की ओर संकेत करते हैं–

1. **काम, शिक्षा और लोक–सहायता पाने का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –4)–** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अन्तर्गत लोगों के लिए काम के अधिकार, शिक्षा और लोक–सहायता

की व्यवस्था, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, बाल श्रमिकों की समस्या या ऐसी ही अन्य अनर्ह अभावोंकी दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करें।

2. **लोक–कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –38)–** यह अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 26, 27 की भावना के अनुरूप है। देश प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करेगा। ऐसा करने से बच्चे का स्वतः ही भौतिक, मानसिक, आध्याात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सकेगा।
3. **कार्यदशा का अधिकार (अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद –39ड)–** इस अनुच्छेद का लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि पुरुष और सभी कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिको को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।
4. **बच्चोंके लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद –45)–** इस अनुच्छेद की भावना बालकों के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 28, 29 के लगभग अनुरूप है। संविधान के भाग–4 काअनुच्छेद 45 बालको के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर अधिरोपित करता है। वह उसका निर्वहन सरकारी और सरकारी सहायता–प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
5. **आराम और अवकाश का अधिकार (अनुच्छेद 43)–** अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुच्छेद 31 भी नागरिकों के लिए ऐसी ही व्यवस्था करता है। इसमे बच्चों को उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने, सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं में मुक्त रूप से भाग लेने के अधिकार को मान्यता देता है।
6. **पर्याप्त जीवनस्तर का अधिकार (अनुच्छेद 47)–** यह अनुच्छेद अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 21, 25, 27, 32, 33 के अनुरूप है। इसमें नागरिकों के उचित पोषाहार एवं जीवनस्तर को ऊँचा करना तथा लोक–स्वास्थ्य में सुधार करने व नागरिकों के मानसिक, शारीरिक तथा चारित्रिक स्तर को ऊँचा करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति को नशीले पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों से बचाव करेगा।
7. **परिवार के संरक्षण और सहायता का अधिकार (अनुच्छेद 42)–** इस अनुच्छेद की भाषा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 9,18 के लगभग समान है। इसमें राज्य को निर्देश है कि वह आम नागरिकों व उनके बच्चों के देखभाल, कामगार महिलाओं की आवश्यक दशाओं और प्रसूति सहायता को सुनिश्चित करेगा।
8. **शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 41, 45, 46)–** बाल अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 28, 29 भी बच्चोंकी शिक्षा पर ऐसा ही प्रकाश डालता है। समझौते में शामिल देश नागरिकों व उनके बच्चों को समान अवसर के आधार पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाकर सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा–सहित माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूप, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए अतिरिक्त विद्यालय खोलने व सहायता की अपेक्षा की गयी है।
9. **सांस्कृतिक अधिकार (अनुच्छेद 29)–** भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 बाल अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अनुच्छेद 30,31 में समाहित है। इसमें नागरिकों व उनके बच्चों को

सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं में मुक्त रूप से भाग लेने तथा किसी भी जातीय, धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक या आदिम समूह को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सम्मान देने व बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा।

10. **अनुच्छेद 51 क (ट)**– इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक माता–पिता या अभिभावक को 6से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा अवश्य उपलब्ध करानी होगी। यह उपबन्ध 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा स्थापित किया गया है।
11. **शिक्षा का मूल अधिकार–** भारतीय संविधान में संसद द्वारा04 अगस्त 2009 को एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। यह मौलिक अधिकार 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की गारन्टी देता है। इससे हमारा देश उन देशों की श्रेणी में आ गया, जहाँ शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। यह कानून 01 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ।

बाल अधिकार से जुड़े कानून, नीतियाँ, आयोग सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओं/संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कुछ प्रमुख मुद्दों जैसे– बाल–विवाह, बाल–तस्करी, घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों, बाल–अश्लील साहित्य और वेश्यावृति के शिकार बच्चों, अवैध दत्तक ग्रहण व विक्रय के शिकार बच्चों, बालश्रम, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों, विशेष देख–रेख/संरक्षण की आवश्यकता बाले बच्चों, विधि के संघर्ष में उलझे बच्चों, गुमशुदा बच्चों, एड्स प्रभावित बच्चों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के बच्चों, भिक्षावृति में लिप्त बच्चों, सुधार गृहों में रत रहे बच्चों, निःशक्त बच्चों, मादक पदार्थों की तस्करी में जबरन संलिप्त बच्चों आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा और दंगे से प्रभावित बच्चों आदि के बाल अधिकारों को लेकर सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। हालाँकि, आर्थिक, विषमता तथा सांस्कृतिक विविधता एवं कुल जनसंख्या में से लगभग 39 प्रतिशत बच्चों की जनसंख्या वाले भारत जैसे बड़े देश में सरकार की सभी नीतियों और कार्यक्रमों का गुणवत्तात्मक व मात्रात्मक क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में लाभदायक उपलब्धियाँ अर्जित की गयी हैं, किन्तु अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे वंचित व हाशिये पर हैं। गरीबी आदि जैसे पुरानी समस्या से अलग, बाल यौन उत्पीड़न सहित बाल अश्लील साहित्य/फिल्म व साइबर क्राइम जैसे प्रौद्यौगिक चालित वर्तमान मुद्दों का निराकरण करने की आवश्यकता है। इस दिशा में हो रहे प्रयासों जैसे– एनसीपीआर द्वारा पोस्को ई–बॉक्स की शुरूआत आदि कुछ ऐसी पहल हैं, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े।

निष्कृर्षतः यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर के साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत की सक्रिय भागीदारी रही है। भारत ने छह प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अनुबंधों/सम्मेलनों पर हस्ताक्षर भी किये हैं। इन दस्तावेजों को स्वीकार कर भारत सरकार मानव अधिकारों के हनन से व्यक्तियों और समूहों की रक्षा करने को बाध्य है। बाल अधिकारों को लेकर सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, किन्तु आवश्यकता है इसके साथ–साथ समाज के जिम्मेदार नागरिक को अपना सहयोग देने की, समाज का जो व्यक्ति बाल–अधिकारों से परिचित नहीं है, उसे इससे परिचित कराने की, उसे जागरूक करने की, यदि हमारे आस–पास कहीं बाल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठायें। वर्तमान में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक कानून बनाये गये हैं, जिससे कि पीड़ित को न्याय पाने में आसानी हुई है। यदि हम किसी बच्चे को उसकी स्वस्थ व खुशहाल जिन्दगी जीने में मदद करते हैं तो यह हमारे स्वस्थ समाज के निर्माण में एक बेहतरीन प्रयास होगा।

संदर्भ

1. त्रिपाठी. टी0पी0. (2004). मानव अधिकार घोषणा : अनुच्छेद (2) उद्धृत. 'मानव अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि'. इलाहाबाद ला पब्लिकेशन्सः इलाहाबाद.
2. बच्चों के अधिकार घोषणा 1959 : संयुक्त राष्ट्र महासभा. संकल्प सं. 1386(24).
3. नागरिक और राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा : अनुच्छेद 24 खण्ड 03.
4. संयुक्त राष्ट्र महासभा : संकल्प संख्या 40/50 1985 इअर बुक ऑफ द नेशन्स 1985.
5. (2004). जैनिंग्स : सम केरेक्टेरिसटिक्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टीट्यूशन्स 1953 पृष्ठ **56.** उद्धृत, त्रिपाठी, टी.पी. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि. इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन्सः इलाहाबाद
6. भारतीय संविधान : भाग –3 सम्यक प्रकाशनः नई दिल्ली.
7. भारतीय संविधान : भाग –4 सम्यक प्रकाशनः नई दिल्ली.
8. गोयल, डॉ. अनुराधा. (2001). सर्व शिक्षा अभियान एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. राधाकमल मुखर्जी चिन्तन परम्परा. समाजविज्ञान विकास संस्थानः बिजनौर (उ0प्र0). जनवरी अंक.